फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय

संख्या 01/2022 शांतिदेवी बनाम नन्दकिशोर

क्रमांक	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	11/11/24	वि. प्रार्थी उप० / बहस ए.के. सुनी गयी। दोनों पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। मूल वाद बोधगम्य तलसम व स्थाई निषेधाज्ञा का है। जिसमें प्रार्थी के अधिवक्ता की बोधगम्य देनी है। प्रकरण के तथ्य वाद बहुलता रोकने के लिए प्रार्थी के अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उपखण्ड अधिकारी के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि विवादित आ.ख.नं. 438 कुल किता 1 का कुल रकबा 1.14 है० भूमि वाके ग्राम पानरवर तह० चौमूं जिला-जयपुर के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति ता-फैसला मूल वाद तक बनाये रखें। पत्रावली कैपल कुमार बेयर उर्फ नम्बर ले कर दे तथा मूल वाद के संलग्न रहे।	

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)